सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 09, बुधवार, *शाके* 1948- अप्रेल 29, 2026
Vaisakha 09, Wednesday, Saka 1948- April 29, 2026

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
कार्यालय सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र.एवं नि.). जोधपुर

अधिसूचना

जोधपुर, अप्रैल 16, 2026

D.61: भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनु-164 एवं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (केन्द्रीय अधि. 13/1885) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.2.2004 जिसे राजस्थान के राजपत्र में दिनांक 08.03.2004 को एस.ओ. 408 पृष्ठ 393 (13) भाग 4(जीए) तदोपरान्त राजस्थान सरकार द्वारा जारी संशधित अधिसूचना सं. एफ.15 (4) ऊर्जा/2017 क्रमशः दिनांक 03.10.17 जिसे राजस्थान राजपत्र में दिनांक 09.10.2017 को प्रकाशित किया गया। जिसके अनुसार सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं. नि.) राराविप्रनिलि, जोधपुर को उनके अधिकार क्षेत्र में बिजली के प्रसारण के लिए या काम के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के उद्देश्य से बिजली की लाइनों या बिजली संयत्रों को खड़ा करने के लिए मार्ग-अधिकार अथार्त राइट ऑफ़ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरित सक्षम अधिकारी बिजली की आपूर्ति हेतु **लीलो आफ 220 केवी द्विपथीय लाइन कोलायत (220 केवी जीएसएस) -बीकमपुर ट्रांसमिशन लाइन (सर्किट-द्वितीय) 220 केवी जीएसएस नोखडा के लिए होकर गुजरना हेतु मार्ग-अधिकार अथार्त राइट आफ वे** की उपयुक्त मंजूरी जारी करते है। उक्त लाईन तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर की सीमा/राजस्व क्षेत्रके भीतर से गुजरेगी।

क्र. सं.	गांवो के नाम	क्र. सं.	गांवो के नाम	क्र. सं.	गांवो के नाम
1	गिराधी	2	कोलासर	3	नया गाँव (लड़खा)
4	रामसिंहपूरा	5	नोखडा	6	मोडिया
7	रावनेरी	8	छनेरी	9	पेथडो की ढाणी
10	हिराई की ढाणी	11	गिराजसर	12	गड़ियाला
13	देवड़ों की ढाणी	14	टोकला		

मनीष अथैया,
सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र.एवं नि), जोधपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।